न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/208

1. हरिसिंह पुत्र नारायण जाति जाट निवासी लाम्बा हाल हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।
2. दिलीप कुमार पुत्र ताराचन्द
3. अनूप सिंह पुत्र जवाहर सिंह
4. गुगनराम पुत्र जवाहर सिंह
5. महावीर पुत्र रामधन
6. नवीन कुमार पुत्र रामकुमार

समस्त जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 02.01.2025

उपस्थित :—

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।
3. श्री हरलाल सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—15.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 02.01.2025 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 14.02.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रस्ताव बाबत कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। ग्राम हमीरवास बजावा से बडागांव में प्रचलित रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 394, 413, 415, 417, 421, 436/393, 422, 423, 425, 426 में स्थित है, जिसे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव में वर्णित ग्राम हमीरवास बजावा के खसरा नम्बर 394, 413, 415, 417, 421, 436/393, 422, 423, 425, 426 में प्रचलित रास्ता भूमि के विरूद्व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2025 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 02.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट हरिसिंह पुत्र नारायण द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 02.01.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि, विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की गई है जबकि परिपत्र अनुसार प्रकरण दर्ज होने के बाद पीडित पक्षकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक है तथा नोटिस जारी किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा निर्णय में जो प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है वह प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण में नहीं दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2024 को ग्रामवासीयों व तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 394 में गैर कानूनी तरीके से रास्ता चालू कर रहे के विरूद्व पेश कर रूकवाने हेतु दिया गया है। अपीलाधीन प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.01.2025 को ही दर्ज हुआ है तो प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मनमर्जी से क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुये तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी आपस में मिलीभगत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.01.2025 को प्रकरण दर्ज किया स्वयं के द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि रास्ते के सम्बंधित इसी न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। उसी वाद पत्र में यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रस्तुत किया है। तथा अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग करते हुये उपखण्ड अधिकारी द्वारा अलग से प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिये वह विधि विरुद्ध है। प्रकरण अलग से दर्ज किया गया तो सभी सम्बधित खातेदारों को नोटिस दिया जाना न्यायिक प्रक्रिया का भाग है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी खातेदार को नोटिस नहीं दिया गया ओर ना ही किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान किया मनमर्जी से निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त परिपत्र में केवल प्रचलित रास्तों की ही किस्म परिवर्तन की जा सकती है। अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 394 में मौके पर जो अपीलाधीन आदेश में रास्ता दर्शाया गया है वह चालू नहीं है तथा पूर्व में भी तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.10.2024 को रास्ता खुलवाने बाबत आदेश पारित किया था तथा पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें भी रास्ता बंद पाया गया था जिससे यह साफ जाहीर है कि मौके पर निर्णयनुसार रास्ता चालू नहीं है। कुछ व्यक्तियों को आने जाने हेतु खसरा नम्बर 394 की पश्चिमी उत्तरी सीमा पर मौके पर रास्ता चालू है जिससे ग्रामीण लोग आते जाते है निर्णयाधीन रास्ता कभी भी मौके पर चालू नहीं रहा यदि इस प्रकार से रास्ता कायम किया जाता है तो प्रार्थी का खेत चार भागों में विभक्त होता है। जिससे कृषि काश्त में काफी परेशानी होगी। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश में खसरा नम्बर 394 को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान का उल्लेख किया है ये व्यक्ति बदमाश प्रकृति के है तथा अपीलान्ट व इनके मध्य राजस्व न्यायालय व उच्च न्यायालय तक भूमियों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को लेकर प्रकरण विचाराधीन है जिन्होनें तहसीलदार, पटवारी व सरपंच से सॉठ गॉठ कर गलत कार्यवाही करवाई है। जबकि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय में रास्ता खुलवाने बाबत अपील व वाद पत्र पेश किये है जिससे भी साफ जाहीर है कि उक्त आदेश विरूद्ध कानून पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें जो जांच रिपोर्ट पेश की गई वह हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.06.2024 को व ग्राम पंचायत के द्वारा भी दिनांक 18.06.2024 को तैयार की गई है। जो मौके पर जाकर तैयार नहीं कर भू –माफिया व्यक्तियों द्वारा तैयार करवाई गई है। तथा परिपत्र के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 11.02.2025 को जमाबंदी व नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल हेतु आवेदन दिनांक 13.02.2025 को नकल प्राप्त एवं कानूनी राय व सलाह लेकर अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 02.01.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 02.01.2025 प्रार्थना पत्र संख्या 05/2025 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 06 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रस्ताव बाबत कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। ग्राम हमीरवास बजावा से बडागांव में प्रचलित रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 394, 413, 415, 417, 421, 436/393, 422, 423, 425, 426 में स्थित है, जिसे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 24.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे रास्ता प्रस्ताव में वर्णित ग्राम हमीरवास बजावा के खसरा नम्बर 394, 413, 415, 417, 421, 436/393, 422, 423, 425, 426 में प्रचलित रास्ता भूमि के विरूद्व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2025 पारित किये गये है, जो सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

3. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.02.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02.01.2025 में तहसीलदार झुन्झुनूं की सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी इस पर गुणावगुण के आधार पर विस्तृत विवेचन किया गया है। प्रार्थी को 251 में भी सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जा चुका है। इसी निर्णय में यह भी उल्लेख है कि दिनांक 08.07.2024 को उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं व तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा खातेदारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया है। समस्त रिकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह सिद्व है कि उपरोक्त रास्ता पूर्व से ही प्रचलित रास्ता है जिसको रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। जिससे स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर चालू है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला–झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2025 में किसी प्रकार त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला–झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर